[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
स॰11/2022-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 जुलाई, 2022

सा.का.नि........(अ) सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रायल (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2019 – केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल 2019 जो संख्याक सा.का.नि 322 (अ) तारीख 23 अप्रैत 2019 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के दुसरे पैरा में, चौथे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
''परन्तु यह और कि उक्त व्यक्ति 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्वानिधारित कर के संदाय के ब्यौरो के विवरण को केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररूप जीएसटी सीएमपी -08 में 31 जुलाई 2022 तक प्रस्तुत करेगा ।

[फा.स.सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 21/2019 केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल 2019 संख्याक सा.का.नि 322 (अ) तारीख 23 अप्रैल 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 25/2021 केन्द्रीय कर तारीख 1 जून 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, संख्याक सा.का.नि. 369 (अ) तारीख 1 जून 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।